



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

" प्रारूप 26 "

13AA 998388

(नियम 4 का देखिए)

..... निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड विधान सभा के लिये निर्वाचन के लिये, रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।

मैं, शिवदत्त नरुवाल शपथ-पत्र पुत्र श्री पीताम्बा देवी
 आयु- 54 वर्ष, जो ग्राम- सावल, पट्टी- अमुठ,
 तहसील- टिहरी, जिला- टिहरी गढ़वाल का निवासी हूँ, और उपरोक्त
 निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन
 करता हूँ :-


1- मैं ऐसे किसी लम्बित मामलें में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया है/ किए गये हैं-
 (यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

i- मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं-

ii- पुलिस थाना- सावल जिला- सावल राज्य- उत्तराखण्ड

(Signature)

- iii- सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है-
- iv- न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई-
- v- तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किए गये थे-
- vi- क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है-
- 2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951) (1951 का 43) की धारा-8 की उपधारा (1) या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, और वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है। (यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :
- i- मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं-
- ii- न्यायालय, जिसने दण्डित किया है-
- iii- पुलिस थाना (थाने)- जिला (जिलों)- राज्य-
- iv- सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है-
- v- तारीख (तारीखें) जिनको आरोप दण्डादेश सुनाया गया था/ सुनाए गये थे-
- vi- क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/ रोके गये हैं-



नई टिहरी।

(Signature)
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

10 जनवरी 2012 सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र के अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है, और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान- नई टिहरी, दिनांक- 10-1-2012 को सत्यापित किया।
(Signature)